कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सीकर

Tel.Phone 01572-270669 & E-mail id:pd-sik-rj@nic.in

क्रमांक : जिपसी / महा.गां.नरेगा / संस्थापन / 2017–18 / 202-13 दिनांक 19-05-18

कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 11(8) ग्रावि / नरेगा / पदसृजन / 2016 / 933342 दिनांक 25.05.17 एवं 12.06.17 के क्रम कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के पदों को भरने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 5807–08 दिनांक 23.11.2017 द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त निर्धारित मापदण्डानुसार वर्गवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अस्थाई वरियता सूची जारी की जाकर दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8357–96 दिनांक 28.02.2018 द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, इसके उपरान्त भी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8977–94 दिनांक 20.03.2018 द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची में से निम्नांकित पात्र अभ्यर्थियों की सेवाएं कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के संविदा पदों पर लेने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	चयन श्रेणी	लिंग	कुल अंक(डिग्री / डिप्लोमा / अनुभव)	वि.वि.
		कनिष्ठ तकनीकी सहायक						
1.	मुकेश कुमार ढाका	प्रहलाद सिंह	05.06.1993	OBC	GEN	M	11.43	डिप्लोमा
2.	सुभाषचन्द कुमावत	राधेश्याम कुमावत	18.08.1989	OBC	GEN	M	10.45	डिप्लोमा
		लेखा सहायक						
1.	आशीष मिश्रा	महेन्द्र कुमार मिश्रा	26.09.1990	GEN	GEN	F	6.83	
2.	कैलाशचन्द सैनी	रामगोपाल सैनी	23.02.1992	OBC	OBC	M	6.91	
3.	पंकज योगी	धर्मपाल योगी	19.02.1997	OBC	OBC	M	6.74	
4.	मनोज कुमार वर्मा	प्रहलाद राय वर्मा	12.07.1993	SC	SC	M	6.03	

उपरोक्त संविदा सेवा हेतु चयनित कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक अभ्यर्थी दिनांक 25-05-18 को कार्यालय समय में उपस्थित होते हुए विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करे। दिनांक 25-05-18 के पश्चात किसी भी स्थिति में अनुबन्ध स्वीकार नही किया जायेगा।

1. निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध प्राप्त नही होने पर आपकी अभ्यर्थता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त सेवाएं पूर्णतया (अस्थाई) अनुबन्ध पर आधारित है। सेवाएं संतोषप्रद नही पाये जाने अथवा गलत आचरण(मिस कन्डक्ट) पाये जाने पर बिना सूचना के किसी भी समय नियमानुसार अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण फर्जी / गलत पाये जाने पर आपकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
2. अनुबन्ध सम्पादन की तिथि से ही आपकी सेवाएं मानी जाएगी।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायको को योजना में कार्य की आवश्यकता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति एवं मुख्यालय स्तर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार नियोजित की जा सकेगा।
4. कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों को विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करना होगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
(जिला कलक्टर)
सीकर